

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्द्रा गौधी सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

क्रमांक : जविप्रा/उपा./जोन-7/2018/डी-385

दिनांक: 11/05/18

✓ मैसर्स विजय सुप्रीम बिल्डर्स प्रा.लि.,

जरिये निदेशक श्री विकास शर्मा पुत्र श्री बाबूलाल शर्मा,

पता- भूखण्ड सं. 94, टैगोर नगर,

अजमेर रोड, जयपुर, (राज0)।

विषय :- निजी खातेदारी की योजना इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, अजमेर रोड, जयपुर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या आर-14/183 व आर-14/184 कुल क्षेत्रफल 468.04 वर्ग मीटर के आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.05.2018 के क्रम में निजी खातेदारी की योजना इन्द्रप्रस्थ कॉलोनी, अजमेर रोड, जयपुर के पुनर्गठित भूखण्ड संख्या आर-14/183 व आर-14/184 कुल क्षेत्रफल 468.04 वर्ग मीटर के आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदन, जिसमें स्टील्ट+4 मंजिल (15.00 मीटर उँचाई) अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे, जिसकी स्वीकृति जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 11.05.2018 में लिए गए निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं :-

1. यह भवन अनुज्ञा जारी दिनांक से 5 वर्ष तक प्रभावी हैं।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है। प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी भी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूखण्ड स्वामी प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा।
5. भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त जोन को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
6. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी

उपायुक्त जोन-7
जविप्रा जयपुर

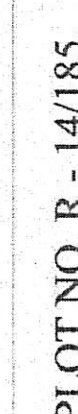
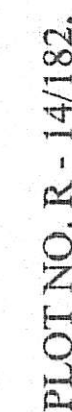
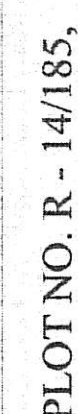
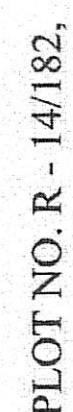
- कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
7. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायें कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
 8. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत (आवासीय उपयोग) ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
 9. उपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई सम्बन्धित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
 10. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
 11. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
 12. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के समाचार पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे।
 13. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
 14. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2017 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
 15. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
 16. आवेदक द्वारा जारी किये जा रहे अनुमोदित मानचित्रों के अनुसार पार्किंग क्षेत्र को अन्डरटेकिंग/समर्पणनामा के अनुसार भवन निर्मित होने पर जविप्रा के पक्ष में समर्पित किया जाना होगा एवं जिसका कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा विधिवत प्राप्त किया जावेगा।
 17. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण एवं उपलब्ध पार्किंग की सूचना जविप्रा द्वारा निर्धारित प्रपत्र में उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित करनी होगी।
 18. वर्षा जल संग्रहण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।
 19. सौर उर्जा उपकरण स्थापित करना होगा।


 उपायुक्त जोन-7
 जयपुर विकास प्राधिकरण,
 जयपुर

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

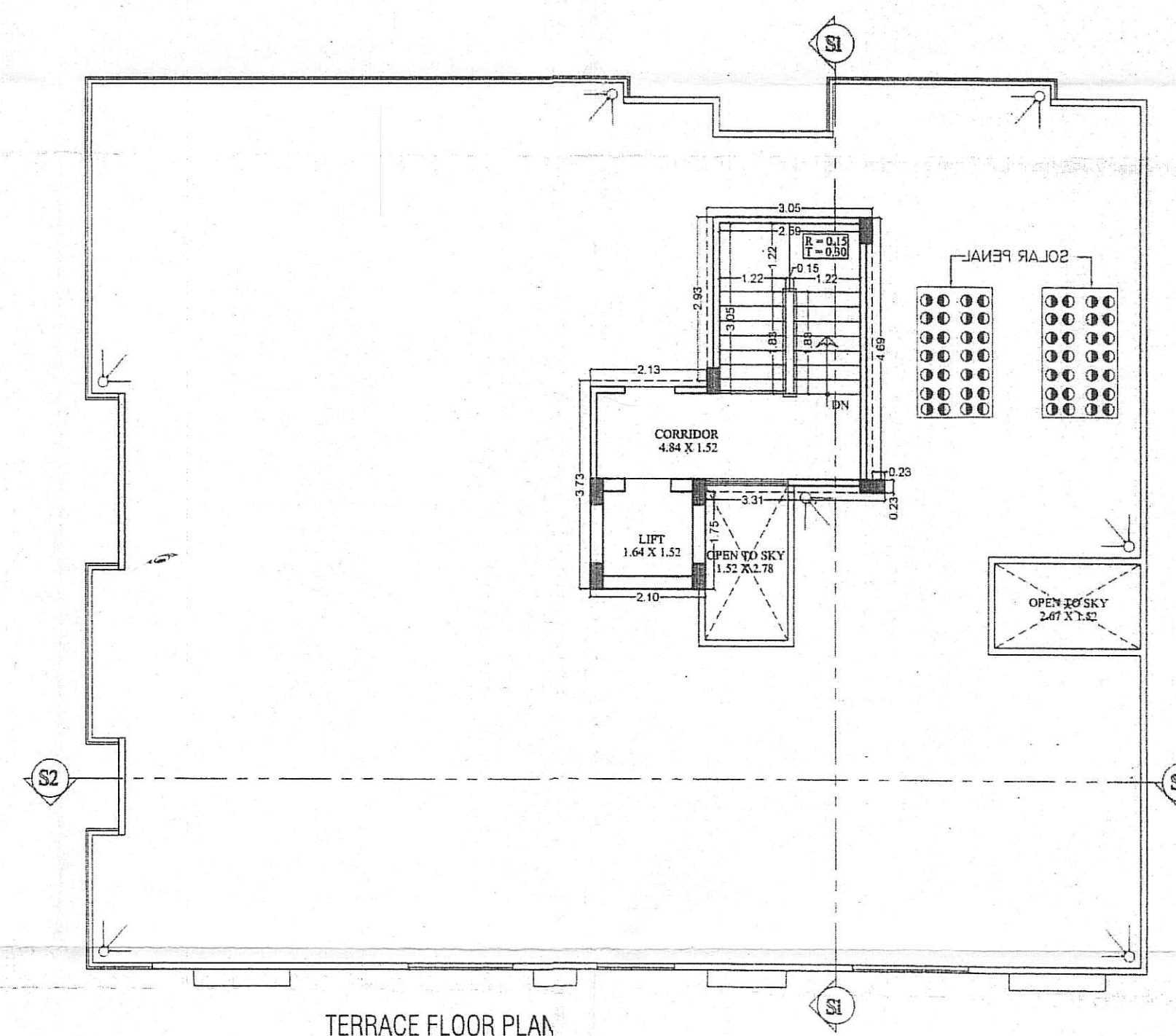
1. प्रवर्तन अधिकारी जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
2. सहायक नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।


 उपायुक्त जोन-7
 जयपुर विकास प्राधिकरण,
 जयपुर।

- ROAD 12.20 MT. WIDE

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन)
विनियम 2010 की धारा 8.15 के दिशा निर्देशों के
अनुसार भू-जल संग्रहक का प्रस्तावित का भवन
में विशेष प्रावधान रखे जाये अन्यथा ज.वि.प्रा. द्वारा
भवन निर्माता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही
की जायेगी।

Applicant should get construction checked at plinth level before proceeding to further construction.



अनुमोदित
पेड़ लगाओ-हरियाली बढ़ाओ

प्रकरण को जेन स्तरीय समिति बैठक दिनांक 11/05/18 को
रखा जाकर उपस्थितियों के प्रयोग के प्रयोग मानवित प्रकाश
जविप्रा/रपा/जीन-07/2018/डी-385 दिनांक 11/05/18
को जारी कर अनुमोदित किये गये हैं।

Assistant Town Planner
Zone-7
Jaipur Development Authority
JAIPUR

उपायुक्त (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

SHRI KRISHNAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100

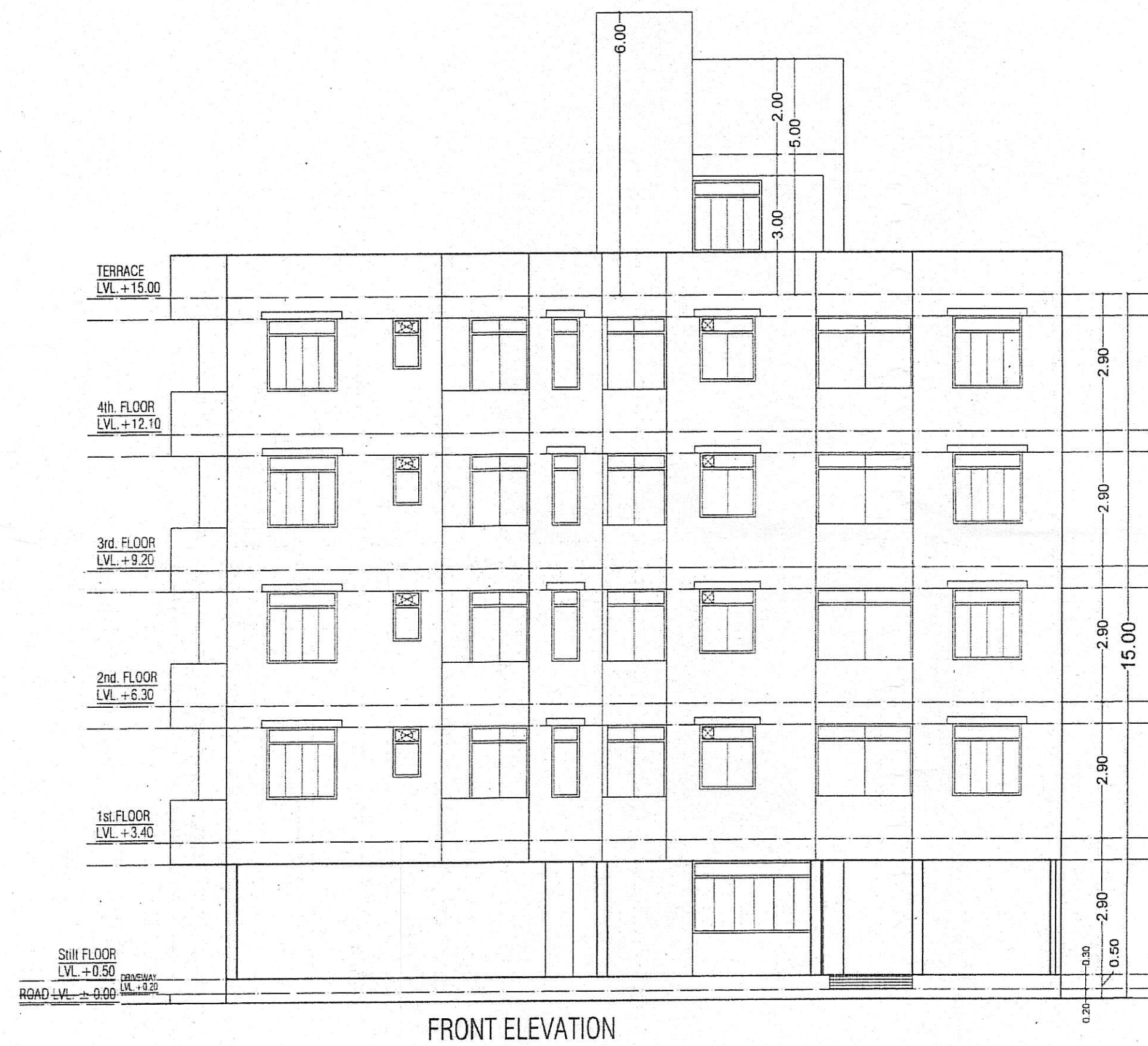
PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO. R - 14/183, R - 14/184
SCHEME :- INDRAPRASTH COLONY AJMER ROAD, JAIPUR.

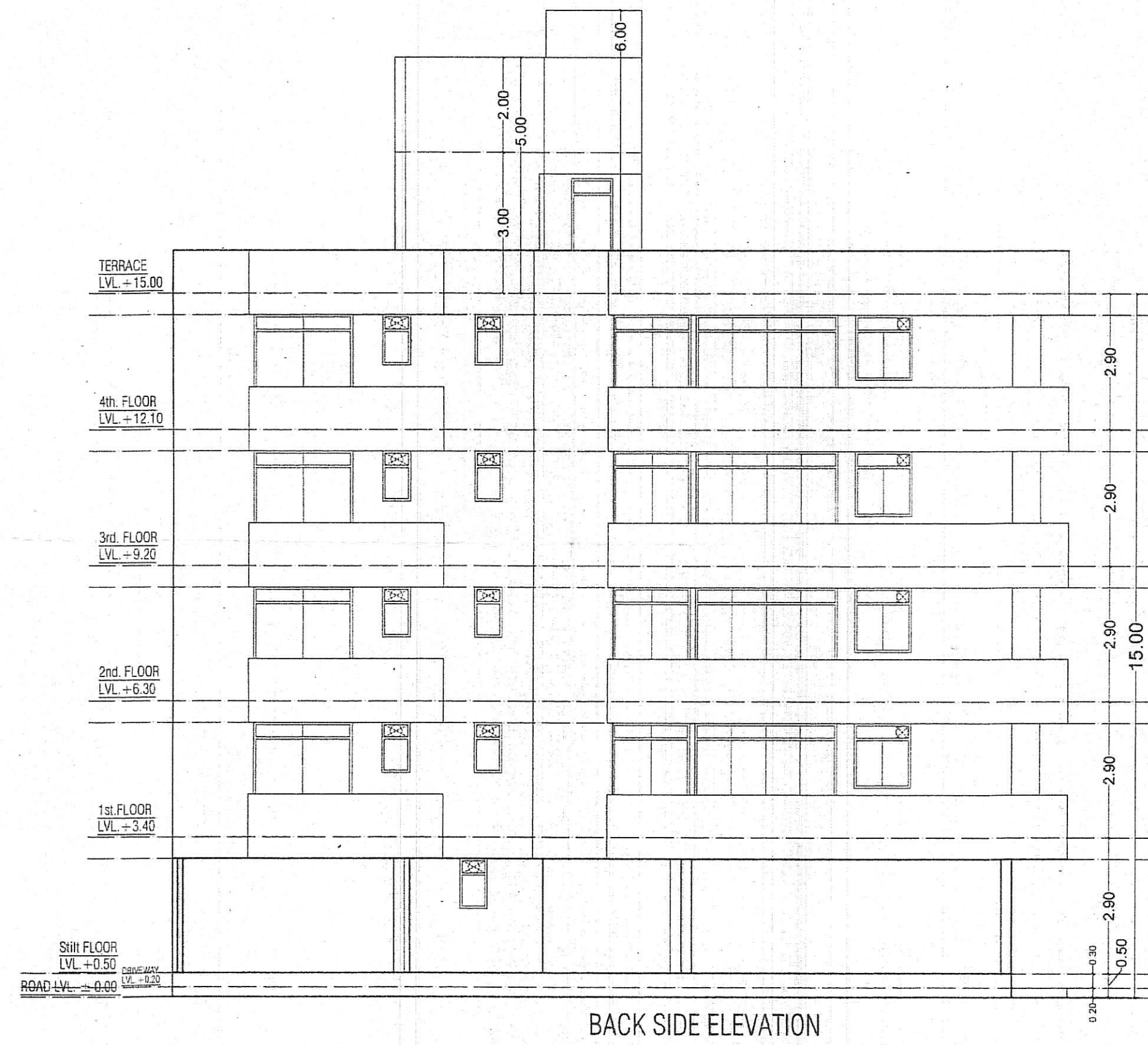
OWNER

ARCHITECT :-

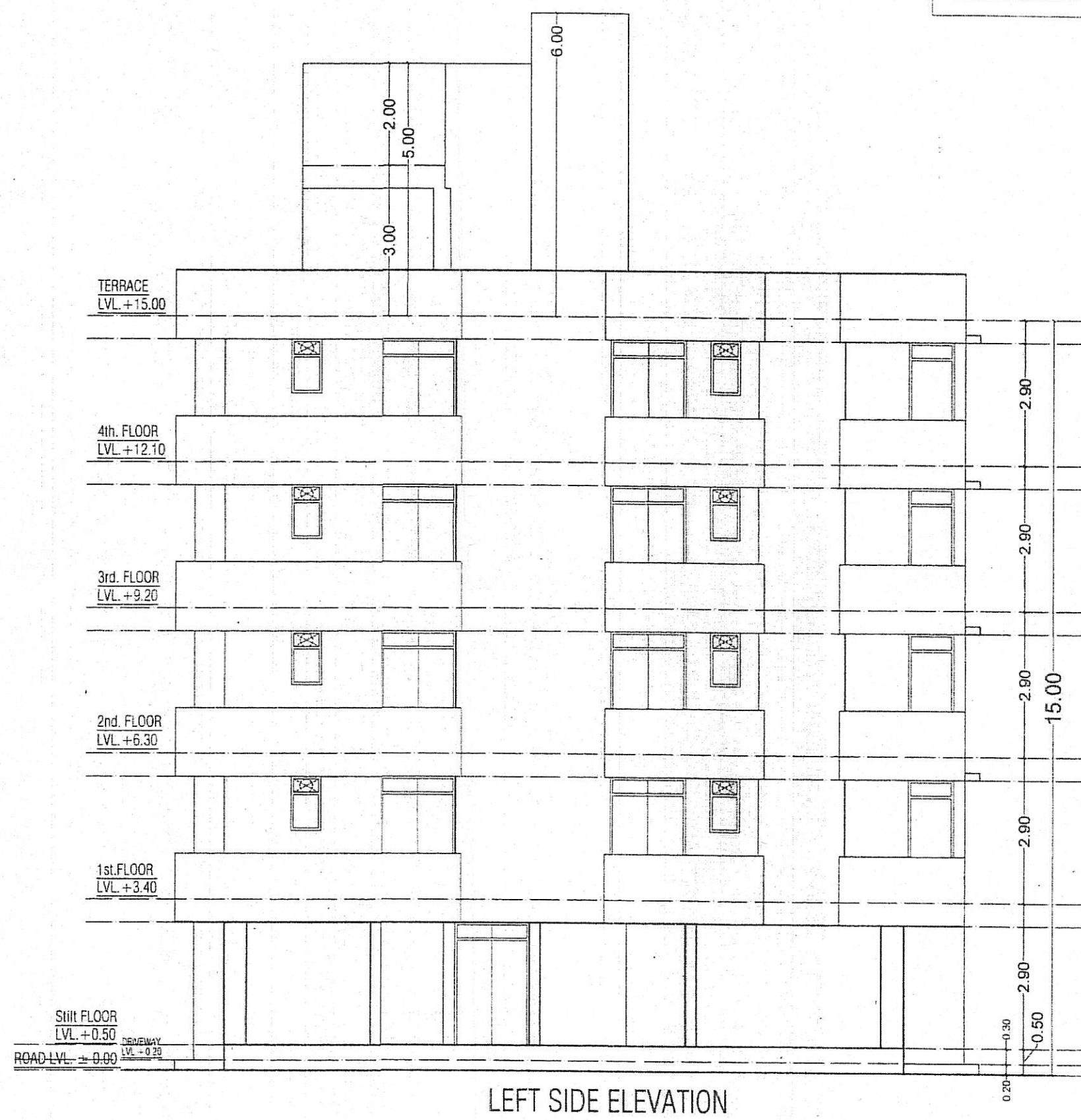
SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email-info.spacegrid@gmail.com



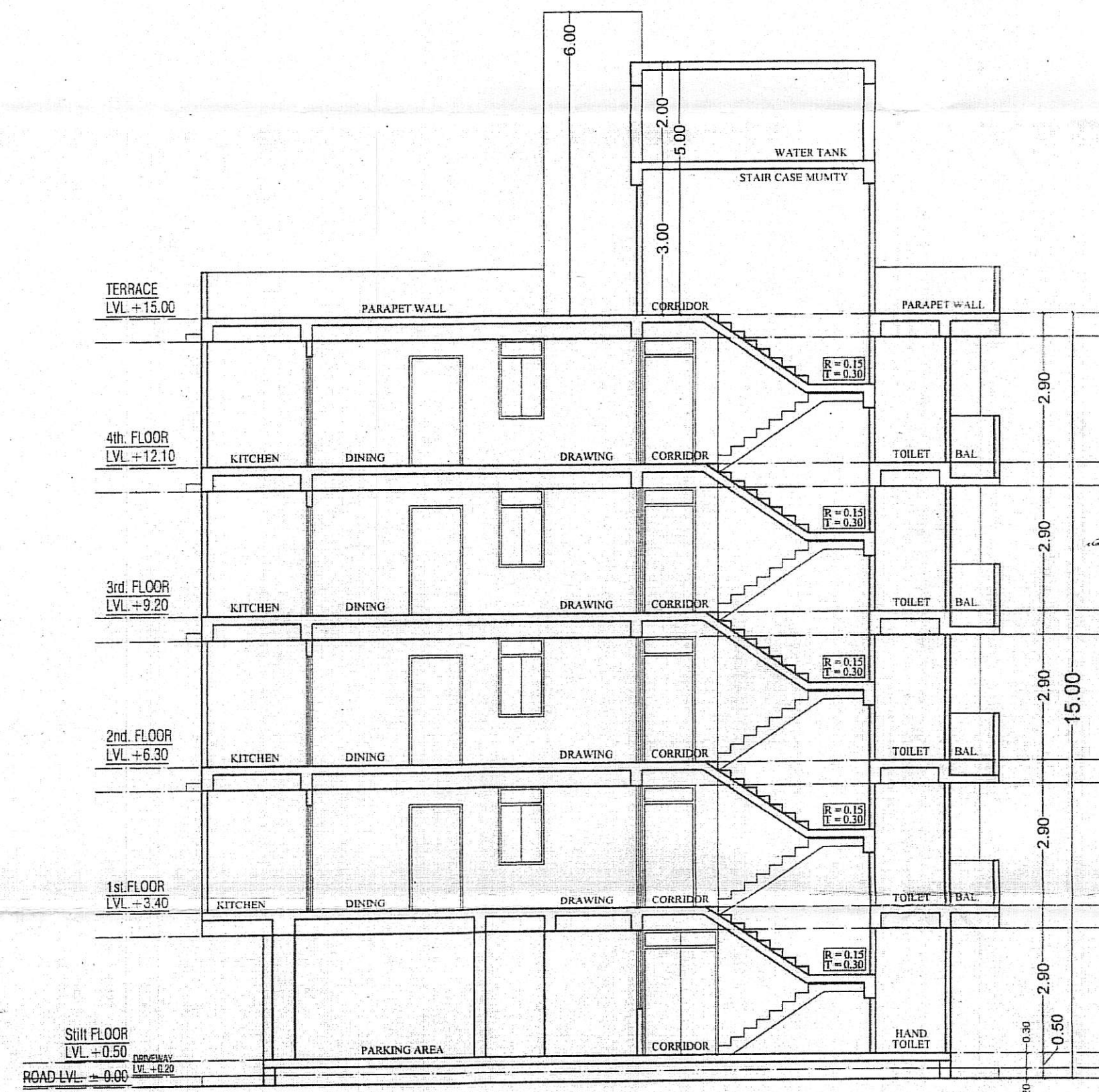
FRONT ELEVATION



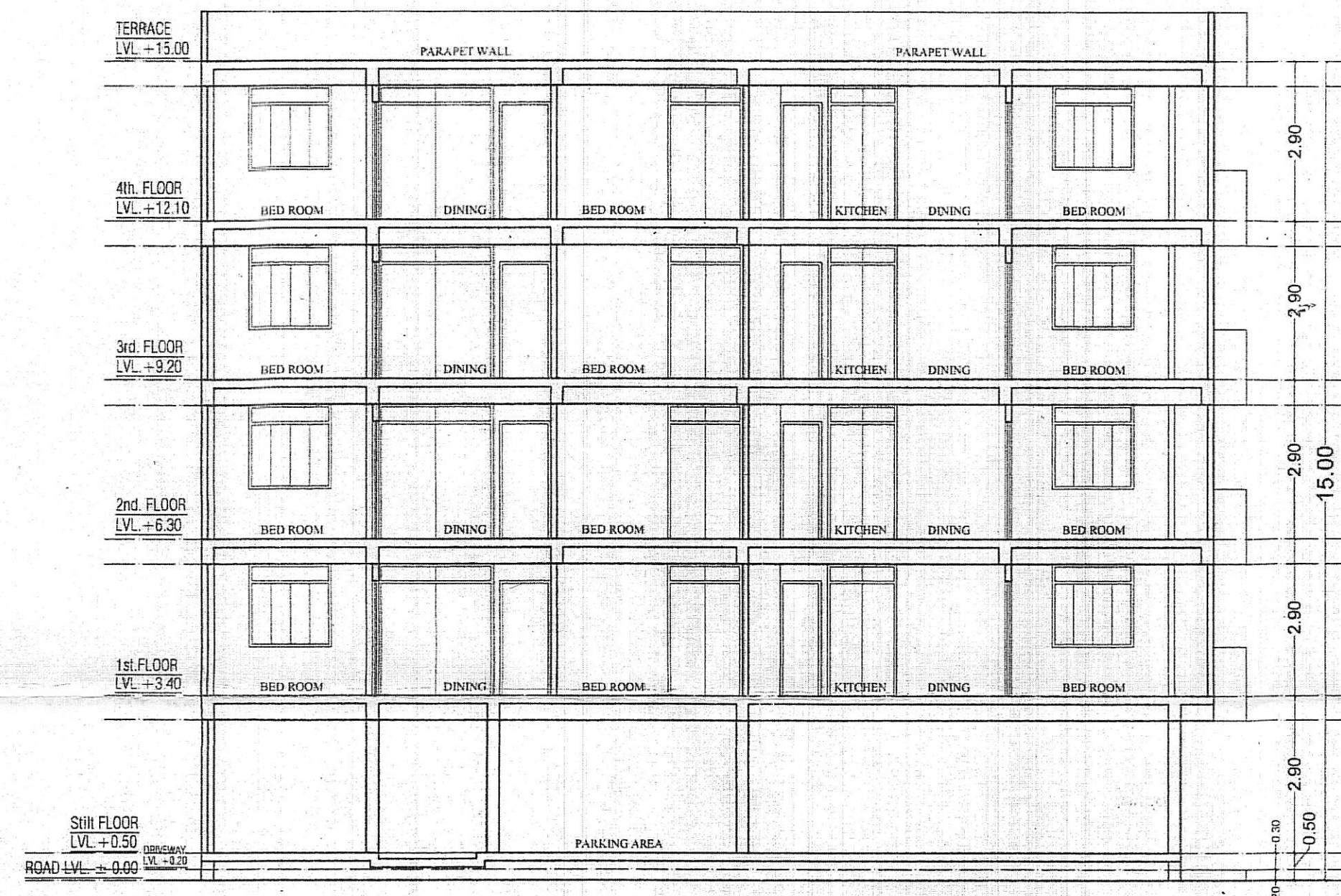
BACK SIDE ELEVATION



LEFT SIDE ELEVATION



SECTION AT S1-S1



SECTION AT S2-S2

इस मानचित्र का अनुमोदन किसी भी प्रस्तावित भू-निर्माण/भू-उपकरण के प्रति स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जायेगा और न ही दूसरे किसी भी स्वामित्व सम्बन्धी अधिकार की प्रमाणित हो। नीचे किये गये अनुमोदित मानचित्रों में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Structure) का दस्तावेज प्रार्थना की जायेगी।

Applicant should get construction checked at plinth level before proceeding to further construction.

जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2010 की धारा 8.15 के दिशानिर्देशों के अनुसार भू-उपकरण का प्रस्तावित का भवन में विशेष प्रावधान रहे जैसे अन्यथा ज.वि.प्र. द्वारा भवन निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अनुमोदित
पेड़ लगाने-हरियाली बढ़ाओ।
Assistant Town Planner
Zone-7
Jaipur Development Authority
JAIPUR
उपायुक्त (जोन-7)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रकरण को जिन स्वतंत्र तारिखों पर दिनांक 11/05/18 को रखा जाकर अन्तर्गत क्षेत्र-जयपुर के भवन मानचित्र जांचा जायेगा/या/जैन-07/2018/क्ष-385 दिनांक 11/05/18 को जारी कर अनुमोदित किये गये हैं।

SHRI KRISHAN
ARCHITECT
CA/99/25451

SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
PLOT NO. R - 14/183, R - 14/184
SCHEME :- INDRAPRASTH COLONY AJMER ROAD, JAIPUR.

OWNER
Hitesh

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email-info.spacegrid@gmail.com